इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर 2019—कार्तिक 15, शक 1941

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-22-167-2019 आठ भोपाल, दिनांक 05 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर, विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल द्वारा कार्यालयीन समय के दौरान कक्ष क्रमांक.....वल्लभ भवन पर प्राप्त किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 226 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"226–ए. (1) जहां दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु, या शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है, में अन्तर्ग्रस्त मोटरयान के लिए कोई बीमा कवर नहीं है, ऐसे यान को न्यायालय द्वारा तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक पंजीकृत स्वामी न्यायालय के समक्ष तृतीय पक्ष जोखिम के नामे बीमा पालिसी प्रस्तुत नहीं कर देता। जब पंजीकृत स्वामी मांगे जाने के बावजूद ऐसी बीमा पालिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो न्यायालय पंजीकृत स्वामी को ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति या ऐसी रकम का निक्षेप, जो ऐसे अधिनिर्णय, जो अंततः पारित किया जा सकता है, को तुष्ट करने के लिए पर्याप्त हो, दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त जब्त यान को मुक्त करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

(2) यदि ऐसी प्रतिभूति या नकद निक्षेप तीन महीने की कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो सार्वजनिक नीलामी में वाहन के व्ययन के लिए समुचित कदम उठाए जा सकेंगे तथा उसके विक्रय के आगम प्रश्नाधीन क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले दावा अधिकरण में ऐसी प्रतिकर को तुष्ट करने के प्रयोजन के लिए, जो ऐसी दुर्घटना से उद्भूत दावा प्रकरण में अधिनिर्णीत की जाए, निक्षिप्त किए जाएंगे और दावा प्रकरण के निपटारे तक विक्रय के आगम को निक्षिप्त रखा जाएगा।"।

No. F 22-167-2019-VIII

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 176 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Bhopal during office hours at Vallabh Bhawan, Room No.....from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, after rule 226, the following rule shall be inserted, namely :-

"226-A. (1) Where there is no insurance cover for a motor vehicle involved in accident resulting in death or bodily injury or damage to property, such vehicle shall not be released by the Court until and unless the registered owner produces insurance policy against third party risk before the Court. When the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy, despite demand, the Court may direct the registered owner to furnish sufficient security or deposit such amount, adequate to satisfy the award that may ultimately be passed, as a condition precedent for release of the seized vehicle involved in accident.

(2) If such security or cash deposit is not made within a period of three months, appropriate steps may be taken for disposal of vehicle in public auction and the sale proceeds thereof, shall be deposited with the claim tribunal having jurisdiction over the area in question, for the purpose of satisfying the compensation that may be awarded in claim case arising out of such accident and hold the sale proceeds in deposit until the claim case is disposed of .".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष भार्गव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.